हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 दिसम्बर, 2011

संख्या वैब 5 /ह0 अ0 6/2003/धा0 60/2011 . — हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 60 की उप–धारा (3) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है ।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट कॉम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी ।

संशोधन प्रारूप

1. (1) ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2011, कहे जा सकते हैं ।

(2) वे राजपत्र में अन्तिम अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में, नियम 47 में, उप नियम (1) में विद्यमान तालिका के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्;—

“तालिका

क्रम संख्या	**भट्ठे की क्षमता**	**प्रवर्ग**	**कर के बदले में भुगतानयोग्य एकमुश्त राशि**
1	**2**	**3**	**4**
1.	33 संख्या की घोड़ी से अधिक क्षमता वाला ईट भट्ठा	+क	₹3,09,210/— जमा 33 घोड़ी से ऊपर ₹ 10,765/— प्रति अतिरिक्त घोड़ी।
2.	28 से 33 संख्या की घोड़ी की क्षमता वाला ईट भट्ठा	क	₹ 3,09,120/—
3	22 से 27 संख्या की घोड़ी की क्षमता वाला ईट भट्ठा	ख	₹ 2,41,500/—
4.	22 संख्या से कम घोड़ी की क्षमता वाला ईट भट्ठा	ग	₹ 1,93,200/—
5.	30 सितम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान न जलाया गया ईट भट्ठा, जिसमें पिछले वर्ष के प्रथम अक्तूबर को भट्ठे के अन्दर तथा बाहर सभी प्रवर्गों की ईटों का स्टॉक पांच लाख से अधिक न हों।	घ	₹ 48,300/—

टिप्पण :– यदि कोई भट्ठा दो स्थानों पर जलाए जाने वाले आकार का है, तो ऐसे भट्ठे के मालिक द्वारा भुगतानयोग्य एक मुश्त राशि की दर उपरोक्त दरों से दुगनी होगी।"।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।